DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001
शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001

Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

डिप्लोमा फार्मेसी. पाठ्यक्रम में सत्र 2010–11 में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग सूचना

शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर तथा राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त निजी डी. फार्मेसी. संस्थानों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 12 वीं के भौतिक, रसायन एवं गणित या बायोलाजी (PCM /PCB) के प्राप्तांको के आधार पर निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार काउंसिलिंग सम्पन्न होगी । नियम पुस्तिका के नियम बंधनकारी होंगे । अभ्यर्थी निम्न समय सारिणी के अनुसार **काउंसिलिंग स्थल में समय पर उपस्थित हों । अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा पूरक अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। तथापि कृपांक नंबर (ग्रेस) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र है ।**

काउंसिलिंग स्थल:– तकनीकी शिक्षा संचालनालय परिसर , बायरन बाजार रायपुर (छ.ग.)

दिनांक	प्रवर्ग / वर्ग	जिनके (PCM /PCB) के प्राप्तांकों के प्रतिशत	समय
12 अगस्त 2010 गुरूवार	समस्त प्रवर्ग एवं समस्त वर्ग के महिला एवं पुरूष (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) जिनके भौतिक, रसायन एवं बायोलॉजी / गणित के प्राप्तांकों का प्रतिशत UR, SC, ST, OBC (Male & Female)	60 % अथवा उससे अधिक हैं, प्रवेश हेतु	प्रातः 09.00 बजे
		60% से नीचे अन्य सभी जिन्होंने आवेदन किया है	दोपहर 02.00 बजे

टीपः–1. नियम पुस्तिका के नियम पढ़कर आएं अभ्यर्थी अपने अर्हता की स्वयं जांच नियम पुस्तिका से कर लें ।
2. काउंसिलिंग में बुलाने मात्र से प्रवेश का अधिकार नहीं बनता । आबंटन सीटों की उपलब्धतता की सीमा तक ही होगा । उपलब्ध सीटो की संख्या नियम पुस्तिका में दी गयी है जिसमें परिवर्तन हो सकता है ।
3. डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ट्यूशन फी वेव्हर (**TFW**) योजना लागू नहीं है ।
4. अभ्यर्थी का भौतिक, रसायन एवं गणित / बायोलॉजी विषय में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
5. अन्य राज्य के कोई अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया हो उन्हें प्रातः 9.00 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है, यदि अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो इन सीटों को छत्तीसगढ़ कोटा में परिवर्तित कर छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थियों को आबंटित कर दिया जायेगा ।

1. ***प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण पत्र***– अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है । अभ्यर्थियों को अपने साथ नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 34–35 पर अंकित काउंसिलिंग फार्म (प्रारूप – 11) की समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कर एवं पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाकर आवश्यक सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यथा अर्हकारी परीक्षा 12वीं की अंक सूची, जन्म तिथि प्रमाणित करने हेतु 10 वीं की अंकसूची, छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र तथा आरक्षित प्रवर्ग हेतु स्थायी जाति प्रमाण पत्र और जाति सत्यापन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में लाना अनिवार्य है, एवं सैनिक, स्वतंत्रतासंग्राम सेनानी तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग हेतु प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में लाना अनिवार्य है, ***अन्यथा अभ्यर्थी अपनी योग्यताअनुसार पाठ्यक्रम एवं संस्था चयन का अवसर खो देगा*** । साथ ही उपरिवर्णित प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियों का एक सेट लाना आवश्यक है । काउंसिलिंग स्थल में प्रवेश के लिये गेट पर जमा करने 12वीं की अंकसूची की अतिरिक्त छायाप्रति साथ में लावे । अस्थायी आबंटन के पश्चात प्रमाणपत्रों का सत्यापन संस्थाओं में भी किया जायेगा । जांच में प्रमाणपत्रों के सही नही पाये जाने पर आबंटन / प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, गलत जानकारी देने / सही जानकारी छुपाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी ।

2. संचालनालय में आवेदन भेजने के प्रमाण के रूप में रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक है ।
3. ***काउंसिलिंग फीसः–*** भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ के नाम से संचालित खाता क्रमांक **31077008863** में काउंसिलिंग फीस रु. 300/– जमा करने की बैंक चालान की **DTE** कॉपी जमा करना है । प्रवेश नियम पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर बैंक चालान का जो प्रारूप दिया गया है उसमें रु. 2,000/– अग्रिम फीस का उल्लेख है । इस प्रारूप में **रु. 2,000/– के स्थान पर रु. 300/–** तथा **अग्रिम फीस के स्थान पर काउंसिलिंग फीस** सुधार कर इसका उपयोग किया जा सकता है अथवा वेबसाइट से नया बैंक चालान फार्म भी डाउन लोड कर भी उपयोग किया जा सकता है । बैंक चालान में **Registration ID/Ref. No.** के सामने 12वीं का रोल नंबर लिखें । **बिना रु. 300/– का चालान जमा किये आवेदन मान्य नहीं होगा** । काउंसिलिंग फीस सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को जमा करना है इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है ।
4. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने **स्थायी जाति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है** अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा । तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता रहेगी । जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश आरक्षित श्रेणी में हुआ है उन्हें जाति सत्यापन प्रमाण पत्र लाना है, यदि काउंसिलिंग की तिथि तक आपके पास जाति सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे जमा करने के लिये 02 माह का समय दिया जायेगा । इसके पश्चात् भी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।
5. शुल्क– सत्र 2010–11 में निजी संस्थाओं की फीस का निर्धारण ''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का नियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के अंतर्गत गठित की गई प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा । वर्तमान में अंतरिम शुल्क लागू है जो वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in में दी गई है । अंतिम शुल्क निर्धारण प्रक्रियाधीन है तदनुसार समिति/शासन द्वारा अनुशंसित/निर्धारित की जाने वाली फीस सभी निजी संस्थाओं पर लागू होगी ।
6. संचालनालय द्वारा आयोजित काउंसिलिंग में सम्मिलित समस्त संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि किसी भी संस्था में प्रवेश लेने के पहले उस संस्था की शुल्क, सुविधाओं, संसाधन इत्यादि के बारे में संस्था की पूरी जानकारी संस्था की वेबसाइट से अथवा संस्था से स्वयं संपर्क कर प्राप्त कर लें । संस्थाओं के फोन नम्बर नियम पुस्तिका के आखिरी पृष्ठ पर दी गई है । संस्था की वेबसाइट को इंटरनेट के किसी सर्च इंजिन जैसे गूगल आदि से भी खोजा जा सकता है।
7. निजी संस्थाओं की अन्य राज्य कोटा की सीटों पर अन्य राज्य के आवेदक प्रवेश के पात्र होंगे । अतः वे भी काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं ।
8. काउंसिलिंग समय का ध्यान रखें । निर्धारित समय के **एक घंटा के पश्चात** आने वाले अभ्यर्थियों को अगली शिफ्ट में ही मौका दिया जा सकेगा । विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों के लिये किसी भी स्थिति में काऊंसिलिंग कार्य रोका नहीं जायेगा ।
9. अभ्यर्थियों के पिता/माता को काऊंसिलिंग के समय साथ में आना अनिवार्य नहीं है तथापि यदि आवश्यक हो तो केवल एक अभिभावक साथ में आ सकता है । एक से अधिक अभिभावकों को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।
10. किसी भी अभ्यर्थी को काल लेटर नहीं भेजा जा रहा है। इस विज्ञापन को ही सूचना मानें ।
11. आबंटन पश्चात आबंटित संस्था में **दिनांक 17 अगस्त 2010** तक प्रवेश लेना आवश्यक है। अन्यथा आबंटन स्वमेव निरस्त मानी जाएगी ।

संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
रायपुर